

**Seventeenth Loksabha**

an&gt;

**Title: Regarding Need to Relax norms for Mining Activities in Eco-Sensitive Zone of Tadoba Andhari Tiger Reserve.**

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले चिमुर तहसील में मुरपार खान डब्ल्यूसीएल जनवरी, 2003 से स्थित है। ये ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नामित कोर और बफर जोन के बाहर आता है तथा खदान में पहले से ही पर्यावरण और वन की मंजूरी एमओईएफ और सीसी से पूरी तरह सुरक्षित है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि टीएटीआर के बफर जोन के आस-पास इको सेंसेटिव जोन के संबंध में एमओईएफ और सीसी भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.09.2019 को जारी करने के साथ ये खान एसईजेड के अंदर आ गई है। उपयुक्त अधिसूचना खंड 4.1 के अनुसार सभी नए और मौजूदा खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से एसईजेड के अंदर प्रतिबंधित किया गया है...(व्यवधान)

महोदय, अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की मुरपार खदान में भूमिगत खनन कार्य जारी रखने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के इकोसेंसिटिव के संबंध में राजपत्र अधिसूचना दिनांक 11.09.2019 के कार्यान्वयन में छूट दिए जाने हेतु सकारात्मक कार्रवाई की जाए।